

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जहानागंजकिशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादिनी थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि अभियुक्त हरिकेश उर्फ कुलबुल पुत्र घुरहु कश्यप साकिन सेमरौल थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा वादिनी की भतीजी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है, के संबन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 109/2022 धारा 363/366 भादवि व दिनांक घटना 4.4.2022 पंजीकृत कर विवेचन मे अमल मे लाई गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार पाल मय हमराह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिकेश उर्फ कुलबुल पुत्र घुरहु कश्यप साकिन सेमरौल थाना जहानागंज आजमगढ़ को धनहुआ मोड़ पास से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 109/22 धारा 363, 366, 376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरिकेश उर्फ कुलबुल पुत्र घुरहु कश्यप साकिन सेमरौल थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1-प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3- का0 धनन्जय थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना बिलरियागंजदुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारघटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.07.2022 को वादिनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी विपक्षी गुरुमीत पुत्र हेमन्त सा0 खैराबाद कोतवाली मुहम्मदाबाद जनपद मऊ हाल मुकाम ग्राम जगमलपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया तथा वादिनी तथा वादिनी के परिवारवालो को जान से मारने की धमकी दी गयी व अपनी आई0डी0 से कूटरचित तरीके से आवेदिका के परिवारवालो के खिलाफ फर्जी प्रा0पत्र दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 156/2022 धारा 376/506/469 भादवि बनाम गुरुमीत पुत्र हेमन्त सा0 खैराबाद कोतवाली मुहम्मदाबाद जनपद मऊ हाल मुकाम ग्राम जगमलपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 17.07.2022 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित गुरुमीत पुत्र हेमन्त सा0 खैराबाद कोतवाली मुहम्मदाबाद जनपद मऊ हाल मुकाम ग्राम जगमलपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, को जैगहा बाजार में रोड के किनारे से समय करीब 09.55 बजे हिरासत पुलिस लिया गया । अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

गुरुमीत पुत्र हेमन्त सा0 खैराबाद कोतवाली मुहम्मदाबाद जनपद मऊ हाल मुकाम ग्राम जगमलपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ । उम्र करीब 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 156/2022 धारा 376/506/469 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी स्थान

1. जैगहा बाजार में रोड के किनारे थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री विजय प्रकाश मौर्य का नितिन कुमार का0 अजय सिंह बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना- महाराजगंज
अवैध गांजा के साथ एक गिरफ्तार

दि 16/07/22 को 30नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा तलाश वाछिंत/वारंटी में खाना होकर नेवादा गाँव मोड़पर चेकिंग कर रहे थे। कि एक व्यक्ति हाथ में सफेद झोला नेवादा गाँव की तरफ से आ रहा था कि जैसे ही पुलिस वालो को देखा तो पीछे मुड़कर वापस नेवादा गाँव की तरफ जाने लगा शक होने टोका व रोका गया तो तेज कदमों से भागने लगा कि बदमाश होने का शक होने पर हमराही कमचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया अभियुक्त के कब्जे से कुल 1 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ बरामद हुआ, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 273/22 धारा 8/20 NDPS Actका पंजीकृत कर समय करीब 7.30 बजे शाम हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 273/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	273/22	8/ 20NDPS ACT	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	162/22	60(1) आबकारी अधिनियम	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

रामप्रीत तिवारी पुत्र स्व0 भगवती तिवारी सा0 देवनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

30नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 रामसरन, का0 रविकान्त थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना-रौनापार

धारा 307 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – आवेदक श्री बुल्लु यादव पुत्र स्व0 झिलर यादव ग्राम हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दि 16.07.22 को थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि विपक्षी (1) मुन्ना यादव उर्फ कृपाशंकर यादव पुत्र काली चरन यादव (2) छन्नू यादव पुत्र सतरू यादव निवासीगण बनकटा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा पैसे के विवाद को लेकर लोहे की राड से मारा पीटा गया व गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 247/2022 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम (1) मुन्ना यादव उर्फ कृपाशंकर यादव पुत्र काली चरन यादव (2) छन्नू यादव पुत्र सतरू यादव निवासीगण बनकटा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण..... 30नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा दिनांक 17.07.22 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त छन्नू यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव पुत्र सकरू उर्फ बलिराम यादव सा0 बनकटा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष को ग्राम चाँद पट्टी बाजार मस्जिद गेट के पास से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 247/2022 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- 1.मु0अ0सं0 247/2022 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

छन्नू यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव पुत्र सकरू उर्फ बलिराम यादव सा0 बनकटा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

30नि0 उमाशंकर का0 गिरिजेश कुमार का0 अनिल कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

गम्भीररूप से मारपीट करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दि० -16.06.22 को वादी श्री श्यामलाल राजभर पुत्र स्व० मदनलाल सा० रवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि खुद के भतीजे करन राजभर द्वारा चौथ / छठ का सामान लेने जाते समय रास्ते मे रोक कर विपक्षी राजू सोनकर पुत्र ईशरी सोनकर आदि 04 नफर निवासीगण ग्राम रवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दी गयी व चोट लगने से करन राजभर का बेहोश हो गया, के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 195/22 धारा 147/323/504/506/308 भा०द०वि० पंजीकृत होकर विवेचना व०उ०नि० श्री शमशेर यादव द्वारा सम्पादित की गई तथा विवेचना के क्रम मे दि० 17.06.22 को अभि० सोनू पुत्र छविराज निवासी ग्राम रवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ को गिरफ्तार किया गया जो कि न्यायिक अभिरक्षा मे है। इसी क्रम मे

2.गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 16.07.22 व०उ०नि० मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि० राजू उपरोक्त जो वादी मुकदमा को मुकदमे मे सुलह करने की बात को लेकर बार बार धमकी देता है इस समय जिवली तिराहे पर चाय की दुकान पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है मुखविर खास की सूचना पर विश्वास कर व०उ०नि० मय हमराह के जिवली तिराहे के पास पहुँचे कि चाय की दुकान से एक व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखते ही भागना चाहा कि हमराही कर्म०गण की मदद से 10 से 15 कदम जाते जाते पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राजू सोनकर पुत्र इसरी सोनकर साकिन रवनिया थाना बरदह आजमगढ बताया पूर्ण विश्वास होने पर कि मुकदमा उपरोक्त का नामजद अभि० है जो वादी मुकदमा को सुलह करने के लिए बार बार धमकी दे रहा है तथा विवेचना मे सहयोग नही कर रहा है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय 11.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 195/22 धारा 147/323/504/506/308 भा०द०वि० थाना बरदह आजमगढ

आपराधिक इतिहास- NIL

गिरफ्तार अभियुक्त –

राजू सोनकर पुत्र इसरी सोनकर साकिन रवनिया थाना बरदह आजमगढ

पुलिस टीम-

शमशेर यादव (व०उ०नि०) का० विनोद कुशवाहा, (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना पवई

अवैध तमन्चा व जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

दिनांक 17.07.22 को उ०नि० पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, रात्रि गस्त, तलाश वांछित वारण्टी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन से अभियुक्त शहनवाज पुत्र स्व० शेरारज ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ को एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 05.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। तथा मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:

मु०अ०सं० 211/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ

आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 85/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना पवई आजमगढ

2. मु०अ०सं० 106/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना पवई आजमगढ

3. मु०अ०सं० 55/20 धारा 3(1) यूपी० गैंगेस्टर एक्ट थाना पवई आजमगढ

4. मु०अ०सं० 211/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:—

शहनवाज पुत्र स्व० शेरारज ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ थाना स्थानीय पर A श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० पवन कुमार सिंह हे०का० धर्मेन्द्र सिंह का० चन्द्रशेखर शाह थाना पवई आजमगढ